

भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA

दूरभाष / Telephone : (079) 23240451, 23240452

फैक्स / FAX : (079) 23237518

वेबसाइट / Webside : www.surveyofindia.gov.in

ई-मेल / E-mail : gdd.gdc.soi@gov.in



निदेशक का कार्यालय / OFFICE OF DIRECTOR
गुजरात, दमण एवं दीव भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र
GUJARAT, DAMAN & DIU GEO-SPATIAL DATA CENTRE
सर क्रीक भवन, सेक्टर-10-ए
Sir Creek Bhavan, Sector 10-A
पोस्ट बॉक्स नं0 1 / Post Box No. 01

गांधीनगर-382010(गुजरात) / Gandhinagar-382010(Gujarat)

संख्या / No. 205 / 118-ए-5 पेंशन अदालत

दिनांक / Date:- 2-02/2017

दिनांक 20-01-2017 को आयोजित पेंशन अदालत का कार्यवृत्त

इस कार्यालय में दिनांक 20-01-2017 को दोपहर 14.00 बजे पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें पेंशन अदालत के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए।

1. श्री डी.आर. सिंह, अधीक्षक सर्वेक्षक - अध्यक्ष
2. श्री सुर्यकान्त, वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रिय वेतन एवं लेखा कार्यालय जयपुर के प्रतिनिधि।
3. श्री हिमान्शु भट्टनागर, लेखाकार, क्षेत्रिय वेतन एवं लेखा कार्यालय जयपुर के प्रतिनिधि।
4. श्री एम.एल.गर्ग, स्थापना एवं लेखा अधिकारी- सदस्य
5. श्री आर.बी. नागोडे, सहायक- सदस्य
- 6.

पेंशन अदालत में निम्न 09 पेंसनर्स उपस्थित हुए।

क्रम.सं	पेंसनर्स का नाम व पद	विभाग का नाम	सेवा निवृत्ति की तारीख
1	श्री डी.पी.शुक्ला, वाहन चालक	भारतीय सर्वेक्षण विभाग गांधीनगर	30/11/2016
2	श्री डी.एम.पटेल, वाहन चालक	भारतीय सर्वेक्षण विभाग गांधीनगर	31/05/2016
3	श्री लाला भाई, खलासी	भारतीय सर्वेक्षण विभाग गांधीनगर	31/05/2016
4	श्री नानजी भाई, खलासी	भारतीय सर्वेक्षण विभाग गांधीनगर	31/05/2016
5	श्री हरनाथ सिंह, दफतरी	भारतीय सर्वेक्षण विभाग गांधीनगर	31/03/2015
6	श्री केवल दाश, गार्ड	भारतीय सर्वेक्षण विभाग गांधीनगर	31/08/2015
7	श्री गणपत भाई, खलासी	भारतीय सर्वेक्षण विभाग गांधीनगर	31/05/2015
8	श्री कंचन भाई तडवी, गार्ड	भारतीय सर्वेक्षण विभाग गांधीनगर	31/08/2015
9	श्रीमती मार्गारेट क्रिश्चन	जिला पंचायत कार्यालय गांधीनगर	-----

सर्व प्रथम श्री डी.आर.सिंह अध्यक्ष द्वारा सभी उपस्थित अधिकारी गण एवं पेंसनर्स का स्वागत किया गया एवं एक दूसरे का परिचय किया गया, उसके साथ पेंसनर्स अदालत की कार्यवाही प्रारंभ की गई जो निम्न है।

पेंशन अदालत में निम्नलिखित कार्यवाही सम्पन्न हुई।

पेंशन अदालत में निम्नलिखित कार्यवाही सम्पन्न हुई।

क्र.सं	नाम व पद	पेंशन संबंधी शिकायत	अदालत द्वारा प्रदान की गई सूचना	टिप्पणी
1	श्री डी.पी.शुक्ला, वाहन चालक (सेवानिवृति नवम्बर 2016)	1. बीमा राशी (CGEGIS) का भूगतान न होना । ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग में 2007 में आये तथा पुराने कार्यालय मिनिस्ट्री ऑफ फुड एन्ड कन्ज्युमर अफेयर्स नई दिल्ली द्वारा उनकी सेवा पंजिका में 1981 से 2004 तक की बीमा राशी (CGEGIS) की प्रविष्टी नहीं की गई है । 2. सेवानिवृति पश्चात होम टाउन टीए के न मिलना	1. क्षे.वे. एवं ले. कार्यालय के प्रतिनिधियों/अधिकारियों ने यह बिन्दु नोट कर कहा की आपकी सेवापंजिका में बीमा राशी के प्रविष्टी इनके पुराने कार्यालय द्वारा उनकी सेवा पंजिका में 1981 से 2004 हेतु आपने दिए हुए पते पर पत्र लिखा जायेगा । गुजरात दमन जी0 डी0 सी0 कार्यालय एवम क्षे.वे. एवं ले. कार्यालय मिनिस्ट्री ऑफ फुड एन्ड कन्ज्युमर अफेयर्स नई दिल्ली को पत्र लिखेंगे और वहा से जानकारी मिलने से उनके बीमा राशी का भूगतान किया जायेगा । 2. सेवा निवृति पर होम टाउनटीए हेतु बिल प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।	व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए
2	श्री डी.एम.पटेल, वाहन चालक (सेवानिवृति मई 2016)	इनकी शिकायत है कि 1. उन्हे सातवे वेतन आयोग के अनुसार 01.01.16 से 31.5.16 तक का एरियर 2. नई पेंशन ,ग्रेज्युटी व कम्प्युटेशन ऑफ पेंशन का भूगतान अभी तक नहीं हुआ है। इतनी देरी का कारण बताये। 3. सेवानिवृति पश्चात होम टाउन टीए के न मिलना	1. क्षे.वे. एवं ले. कार्यालय के प्रतिनिधियों ने उन्हे बताया की सातवे पे कमीशन के आदेश पेंसनर हेतु नवम्बर 2016 में ही प्राप्त हुये। इसी कारण नया पी.पी.ओ.जारी होने में समय लगा। उन्होंने यह कहा की हमने सभी कार्यवाही पूर्ण कर दि है। अगले सप्ताह में सेवापंजीका व नया पी.पी.ओ. मिल जायेगा । 2. नया पी.पी.ओ. मिलते ही एरियर का भुगतान कर दिया जायेगा 3. सेवा निवृति पर होम टाउनटीए हेतु बिल प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।	व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए
3	श्री केवल दाश गार्ड (सेवानिवृति अगस्त 2015)	सातवे वेतन आयोग के निरधारण एवम आयकर के गणना सम्बन्धी जानकारी मांगी ।	क्षे.वे.एवं ले. कार्यालय के प्रतिनिधियों ने उन्हे बताया की सातवे वेतन आयोग के निरधारण एवम आयकर गणनी सही है। कार्यवाही से संतुष्ट हुये ।	व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।
4	श्री हरनाथ सिंह दफतरी (सेवानिवृति मार्च 2015)	सातवे वेतन आयोग की सिफारीस अनुसार उनका वेतन व पेंसन की गणना सम्बन्धी जानकारी मांगी।	क्षे.वे.एवं लेखा कार्यालय के प्रतिनिधि ने कहा की पेंसन व वेतन निर्धारण के सम्बन्धी जानकारी दी व उन्हे पुर्ण रूप से समजाया। कार्यवाही से संतुष्ट हुये ।	व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।
5	श्री लाला भाई, खलासी (सेवानिवृति मई 2016)	इनकी शिकायत है कि उन्हे सातवे वेतन आयोग के अनुसार 1- 01.01.16 से 31.5.16 तक का एरियर 2. नई पेंशन ,ग्रेज्युटी व कम्प्युटेशन ऑफ पेंशन का भूगतान अभी तक नहीं हुआ है। इतनी देरी का कारण बताये।	क्षे.वे.एवं ले. कार्यालय के प्रतिनिधियों ने उन्हे बताया की सातवे पे कमीशन के आदेश पेंसनर हेतु नवम्बर 2016 में ही प्राप्त हुये। इसी कारण नया पी.पी.ओ.जारी होने में समय लगा। उन्होंने यह कहा की हमने सभी कार्यवाही पूर्ण कर दि है। अगले सप्ताह में सेवापंजीका व नया पी.पी.ओ. मिल जायेगा। एक माह में कार्यवाही पुरी हो जायेगी ।	व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

पेंशन अदालत मे निम्नलिखित कार्यवाही सम्पन्न हुई।

क्र.सं	नाम व पद	पेंशन संबंधी शिकायत	अदालत द्वारा प्रदान की गई सूचना	टिप्पणी
6	श्री नानजी भाई, खलासी (सेवानिवृत्ति मई 2016)	इनकी शिकायत है कि उन्हें सातवे वेतन आयोग के अनुसार 1. 1.1.16 से 31.5.16 तक का एरियर 2. नई पेंशन ग्रेज्युटी व कम्प्युटेशन ऑफ पेंशन का भूगतान अभी तक नहीं हुआ है। इतनी देरी का कारण बताये।	क्षे.वे.एवं ले. कार्यालय के प्रतिनिधियों ने उन्हें बताया की सातवे पे कमीशन के आदेश पेंसनर हेतु नवम्बर 2016 में ही प्राप्त हुये। इसी कारण नया पी.पी.ओ.जारी होने में समय लगा। उन्होंने यह कहा की हमने सभी कार्यवाही पूर्ण कर दि है। अगले सप्ताह में सेवापंजीका व नया पी.पी.ओ. मिल जायेगा। एक माह मे कार्यवाहि पुरी हो जायेगी ।	व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।
7	श्री गणपत भाई, खलासी (सेवानिवृत्ति मई 2015)	पेंशनर्स कार्ड नहीं मिलने पर ।	इनकी डिटेल चेंन्ई कार्यालय को पेंशनर्स कार्ड हेतु भेजी गई है। वहा से अभी तक कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होने पर उन्हें भेजा जायेगा। यह कार्यालय एक माह मे कार्यवाहि पुरी हो जायेगी ।	व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।
8	श्री कंचन भाई तडवी गाई. (सेवानिवृत्ति) जुलाई 2015)	पेंशनर्स कार्ड नहीं मिलने पर ।	इनकी डिटेल चेंन्ई कार्यालय को पेंशनर्स कार्ड हेतु भेजी गई है। वहा से अभी तक कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होने पर उन्हें भेजा जायेगा। यह कार्यालय एक माह मे कार्यवाहि पुरी हो जायेगी ।	व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।
9	श्रीमती मार्गारिट क्रिश्चन जिला पंचायत कार्यालय गांधीनगर से सेवा निवृत्त	पेंशन सम्बन्धी जानकारी मांगी थी।	इस विभाग से सेवा निवृत्त नहीं हुए थे अतः उन्हें अपने कार्यालय से सम्पर्क करने हेतु कहा गया। यह कार्यालय इस विभाग के पेंशन सम्बन्धी पर ही कार्यवाहि करता है ।	व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक को जलपान कराया गया एवम पेंशनर्स से अदालत की कार्यवाही से उनको संतुष्टी के बारे में पूछा गया जिसमे शिकायतकर्ता द्वारा पेंशन अदालत की कार्यवाही से संतुष्ट पाया गया।

पेंशन अदालत में पिछले पेंशन अदालत की स्टेटस का भी अवलोकन किया गया।

अन्य कोई शिकायतकर्ता शेष नहीं होने से 17.00 बजे अध्यक्ष महोदय द्वारा सभि का धन्यवाद देते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पेंशन अदालत का समापन किया गया।



(डी.आर. सिंह)
अधीक्षक सर्वेक्षक
अध्यक्ष
(पेंशन अदालत)

- प्रतिलिपि:-
1. अपर महासर्वेक्षक (प.क्षे.), जयपुर को सूचनार्थ।
 2. निदेशक, गुजरात दमण एवं दीव जी.डी.सी. गांधीनगर को सूचनार्थ।
 3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षे.वे.एवं ले.का. जयपुर को सूचनार्थ।
 4. श्री सुर्यकान्त, वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं श्री हिमान्सु भट्टनागर, लेखाकार, क्षे.वे.एवं ले.का. जयपुर को सूचनार्थ।
 5. श्री एम.एल.गर्ग, स्थापना एवं लेखा अधिकारी, सदस्य को सूचनार्थ।
 6. श्री आर.बी.नागोडे, सहायक सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 7. भारतीय सर्वेक्षण विभाग वेब पोर्टल, देहरादुन को वेब मे अपलोड हेतु।